प्रारूप-9
नियम 8(3) देखिये

संख्या 02128/2021-2022 दिनांक 01/09/2021

# सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

## (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण
संख्या:R/HAR/07343/2021-2022 पत्रावली संख्या:1-164942 दिनांक 2011-2012

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] सोसाइटी, [illegible] 74, [illegible], हरदोई , 241001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 8391 दिनांक-02/06/2011 को दिनांक-02/06/2021 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1150 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)
572E833120B2128D9DAA66F38AED95A3DF6233DE
Date: 01/09/2021 3:09:57 PM Location: Lucknow

जारी करने का दिनांक-01/09/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

## नियमावली

| | | |
|---|---|---|
| १. | संस्था का नाम | डा० बी० आर० अम्बेडकर एजूकेशनल सोसाइटी। |
| २. | संस्था का पूरा पता | म० नं० 74 जलसी आगू ओका मल्लावपुरा हरदोई जिला हरदोई |
| ३. | संस्था का कार्यक्षेत्र | सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश। |
| ४. | संस्था की सदस्यता एवं वर्ग | |
| | आजीवन सदस्य | जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 31000/- रू. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। |
| | सामान्य सदस्य | जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे वा संस्था के विकास हेतु 101/- रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क चन्दा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे |
| ५. | सदस्यता की समाप्ति | 1. मृत्यु हो जाने पर । |
| | | 2. पागल या दिवालिया हो जाने पर । |
| | | 3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर । |
| | | 4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर |
| | | 5. निर्धारित समय से सदस्यता शुल्क न देने पर । |
| | | 6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर । |
| | | 7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर |
| ६. | संस्था के अंग | अ.साधारण सभा |
| | | ब. प्रबन्धकारिणी समिति |
| ७. | साधारण सभा | |
| | गठन | साधारण सभा का गठन आजीवन और सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा । |
| | बैठकें | साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है |

Akhil Singh

N. Rani

**सूचना अवधि** — साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

**गणपूर्ति** — साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

**विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि**

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय किया जायेगा ।

**साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य**

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना ।

## ५. प्रबन्धकारिणी समिति

**गठन** — साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष–एक, मंत्री–एक, प्रबन्धक–एक, कोषाध्यक्ष–एक एवं सदस्य–3 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई भी जा सकती है।

**बैठक** — प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व होगी। बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

**सूचना अवधि** — प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व होगी। बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

**गणपूर्ति** — प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

**रिक्त स्थानों की पूर्ति** — प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य

१ संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना ।

२ किसी प्रकार के विवाद का निस्तारण करना ।

३ संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।

४ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विदेश के अधिकारी, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, राजकीय व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, संस्कृति मंत्रालय, कपार्ट, उद्यान विभाग, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सहायता, विकास सेल इण्डिया, नेहरू युवा कल्याण संगठन, हैल्पेज इण्डिया, श्रम विभाग, विकलांग विभाग/निदेशालय/आयोग/बोर्ड, भूमि सुधार निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, पशु विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आई०सी०डी०एस०, स्वास्थ्य मंत्रालय, समाज कल्याण, महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण बोर्ड, सांस्कृतिक विभाग, राजीव गांधी फाउण्डेशन, गृह मंत्रालय भारत सरकार, राजभाषा मंत्रालय, उद्योग, पर्यावरण विभाग, आक्सफैम इण्डिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, बैंकों, वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय एवं विदेशी संस्थाओं, तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग/कमीशन से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना

५ संस्था की उपसमितियों/शाखाओं का गठन करना और उन पर नियंत्रण रखना ।

कार्यकाल — प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा ।

६. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

अध्यक्ष

१. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ।

२. बैठकों के लिए निर्णयों का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना व बैठकों को स्थगित करना ।

३. बैठकों के लिए तिथि का निर्धारण करना ।

४. संस्था में वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन का कार्य करना ।

Akhil Singh

४. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 50,000/- नकद रखने का अधिकार होगा अध्यक्ष की लिखित सहमति के उपरान्त।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था की नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा

११. <u>संस्था का कोष</u> — संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/प्राइवेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

१२ <u>संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट)</u>

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

१३ <u>संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही में संचालन का उत्तरदायित्व :</u>

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं प्रबन्धक पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य पर होगा क्षेत्रीय न्यायालय में होगा।

१४. <u>संस्था के अभिलेख</u> — सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा स्टाक रजिस्टर, कैश बुक

१५. <u>विघटन</u> — संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज् रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक:- सत्य प्रतिलिपि

- हस्ताक्षर -

Akhil Singh

N. Rani

४. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 50,000/- नकद रखने का अधिकार होगा अध्यक्ष की लिखित सहमति के उपरान्त।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के अनुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा

११. संस्था का कोष — संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/प्राइवेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

१२. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

१३. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं प्रबन्धक पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य पर होगा क्षेत्रीय न्यायालय में होगा।

१४. संस्था के अभिलेख — सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा स्टाक रजिस्टर, कैश बुक

१५. विघटन — संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज् रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक—

सत्य प्रतिलिपि

: हस्ताक्षर :

Akhil Singh

N. Rani